निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

एफ–7(4) अकाद / आकाशि / परीक्षा / 2019 / 1158 दिनांक– 10-9-2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय–: महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 की अंतिम वर्ष (स्नातक व स्नातकोत्तर) की शेष रही विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन में कोरोना महामारी कोविड–19 के बचाव के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 की अंतिम वर्ष (स्नातक व स्नातकोत्तर) की शेष रही विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन माह सितम्बर 2020 के तृतीय सप्ताह से करवायी जा रही है। उक्त परीक्षा के सफल आयोजन हेतु कोरोना महामारी कोविड–19 के बचाव के लिए निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें:–

1. सभी परीक्षार्थियों एवं स्टॉफ के चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। बिना मास्क के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नही दी जाये।
2. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को दो गज की सामाजिक दूरी के अनुरूप बैठाने की व्यवस्था रखनी होगी और परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र में आने एवं जाने के समय एवं परिसर में भी सामाजिक दूरी की पालना की जाये।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति दी जावें ताकि थर्मल स्कैनिंग, दूरी, सेनेटाईजिंग आदि की व्यवस्था परीक्षा केन्द्र द्वारा समय पर की जा सके।
4. परीक्षा केन्द्र के प्रवेश एवं निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाइजर की व्यवस्था करवानी होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाइजर होने के पश्चात् ही केन्द्र पर अनुमति दी जाये।
5. सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र में आम सुविधा और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजों के हैण्डल, टेबल, कुर्सी अन्य सभी फर्नीचर आदि को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व परीक्षा कक्ष को प्रति दिन एवं प्रत्येक पारी में सैनेटाईज करवाना होगा।
6. परीक्षार्थियों की पेयजल की व्यवस्था कक्षा–कक्ष में सीट पर उपलब्ध करवाया जाये।
7. परीक्षा केन्द्र की परिधि में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से सम्बन्धित स्टॉफ के अलावा अन्य किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाये।
8. परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर हैण्डवॉश के लिये पर्याप्त पानी, साबुन और सैनेटाईजर की सुनिश्चिता की जाये।
9. कोविड–19 महामारी से संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों (एडवाईजरी) की पालना सभी परीक्षार्थियों / विश्वविद्यालय कर्मियों / महाविद्यालयों को करनी होगी।

भवदीय
10/9/2020
(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

प्रतिलिपि –

1. जिला कलेक्टर (समस्त) को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त कार्य में सहयोग अपेक्षित है।
2. मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त कार्य में सहयोग अपेक्षित है।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

10/9/2020
(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)